

हरियाणा स्टेट काउंसलि फॉर फजियिथेरेपी के 'ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल' का शुभारंभ चर्चा में क्यों?

25 मई, 2023 को हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अनलि वजि ने हरियाणा स्टेट काउंसलि फॉर फजियिथेरेपी के 'ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बदि

- राज्य में फजियिथेरेपिस्टो को काम करने के लिये रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यह पोर्टल पारदर्शिता लाने की तरफ एक और महत्त्वपूर्ण कदम है और फजियिथेरेपिस्टों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
- चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री ने कहा कि इस पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करने से समय के साथ-साथ रुपए की बचत, डिजिटल ऑटोमेशन, एनहांस एफिसिएंसी, केंद्रीकृत डेटाबेस, त्रुटिमुक्त कार्यक्षमता, संचार में सुधार करने, पेपर वर्क कम करने और पारदर्शिता लाने में लाभ मिलेगा।
- वदिति है कि अगर कोई फजियिथेरेपिस्ट दूसरे राज्य की काउंसलि में पंजीकृत है और प्रदेश में काम करने के इच्छुक है, तो उसे हरियाणा में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये उस काउंसलि की एनओसी जमा करवानी होगी। यदि उस राज्य में काउंसलि नहीं है तो उसकी डिग्री की वेरिफिकेशन करवाई जाएगी।
- इस पोर्टल से नए रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन से लेकर जाँच सूची, राशा भुगतान, रसीद व पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने तक ऑनलाइन रहेगी।
- गौरतलब है कि राज्य स्टेट काउंसलि फॉर फजियिथेरेपी में अब तक 1936 रजिस्ट्रेशन मैन्युअल है।
- काउंसलि पर फजियिथेरेपिस्ट का रजिस्ट्रेशन होने पर जब उसे प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा तो उसकी पूरी सूची काउंसलि की वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति देख सकता है।



